न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 269 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 433

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1.अरूणकुमार पुत्र विनोदकुमार 2.ललितादेवी पत्नि अरूणकुमार जाति ओसवाल निवासी विमलनाथ कालोनी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	1.कसुम्बीदेवी पत्नि मगाराम 2.चम्पालाल पुत्र मगाराम 3.बगदाराम पुत्र मगाराम 4.लालाराम पुत्र मगाराम जाति प्रजापत निवासी प्रजापतों का वास,जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.केवदाराम पुत्र पताराम 6.हीरोदेवी पत्नि केवदाराम जाति मेगवाल निवासी गोलिया तहसील पचपदरा 7.गेनाराम पुत्र प्रतापराम 8.पाबूराम पुत्र प्रतापराम जाति देवासी निवासी खाचरों की ढाणी, जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 9.गोविन्दराम पुत्र प्रागाराम 10.जोगाराम पुत्र प्रागाराम 11.सजनीदेवी पत्नि प्रागाराम जाति प्रजापत निवासी प्रजापतो का वास जसोल तहसील पचपदरा 12.वीरोदेवी पत्नि रायमल 13.सुआदेवी पत्नि आसूराम जाति देवासी निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा 14.फूसाराम पुत्र चौथाराम 15.सुबटीदेवी पत्नि चौथाराम 16.हड़मानाराम पुत्र चौथाराम जाति प्रजापत निवासी मांझीवाला 17.पुनमाराम पुत्र भैराराम जा[illegible] निवासी जसोल तहसील पचपदरा 18.नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त 19.राजस्थान सरकार [illegible]ये तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:07:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत ,अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 11.3.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पु[illegible] रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का [illegible] कि[illegible]ाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहत[illegible] भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें विद्वान अधिव्क्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द का गम्भीरतापूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:07:10 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल. आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपल्बध मौका फर्द दिनांक 07.4.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1616/581 क्षेत्रफल 2.7842 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख में [illegible] जावे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:07:10 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.3.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा